न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 34/2016

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेंटस
1. भंवराराम पुत्र आदूराम 2. जेताराम पुत्र आदूराम 3. हवादेवी पुत्री आदूराम 4. लेहरो पत्नी आदूराम जाति राईका निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. सवाईसिंह पुत्र पदमाराम 2. मैथीदेवी पत्नी पदमाराम जाति राईका निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 255 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 26.10.2015 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1. अपीलांट संख्या 1 व 2 उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री कैलाश सारण अधिवक्ता उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से ना.तहसीलदार उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश **दिनांक 09.06.2017**

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 हिन्दू विधि से शासित है, जिनका पैतृक खातेदारी खेत खसरा नंबर 1013/351 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा सरहद मौजा बायतु भोपजी तहसील बायतु में आया हुआ है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है। पक्षकारो द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमियों का बाहामी बंटवाड़ा कब्जा काश्त अनुसार करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया जाकर विभाजन आवेदन पत्र तैयार करवाये। हल्का पटवारी ने विभाजन हेतु पूर्व में तैयार नक्शे

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

को बदलते हुए अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 02 के नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर पर दोबारा नक्शा तैयार कर रेस्पोडेंट संख्या 03 तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया। इस समस्त कार्यवाही की अपीलांटस के अनपढ़ होने से ज्ञान नहीं हो सका। अपीलांटस के शिविर से चले जाने के बाद विभाजन आदेश **26.10.2015** तहसीलदार बायतु से पारित करवाया गया। उक्त विभाजन आदेश के नक्शे का ज्ञान अपीलांटस को नहीं हुआ तथा अरसा एक माह पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 द्वारा अपीलांटस को कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर जबरन बेदखल करने का प्रयास करने पर अपीलांटस को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे। अपीलांटस ने उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ दिनांक 3.10.2016 को प्राप्त की तब उसे इस विभाजन आदेश दिनांक **26.10.2015** की जानकारी हुई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ''न्याय आपके द्वार'' के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई।

4. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 के अधिवक्ता ने कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। दोनो पक्षकारान के सहमत होने पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं तहसीलदार बायतु के समक्ष दोनो पक्षों द्वारा उपस्थित होकर बंटवाड़ा सही होना स्वीकार किया गया। दोनो पक्षो के द्वारा बंटवाड़ा सही होना स्वीकार करने के बाद तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त विभाजन आदेश पारित किया गया। विभाजन आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपीलांटस को उक्त विभाजन आदेश की जानकारी शुरू से थी, परन्तु तत्समय इनके द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया। एक साल बाद विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसमें

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विलम्ब का कोई उचित एवं ठोस कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलांटस का कथन हैं कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय दो सह खातेदारान के मध्य भूमि की उर्वरा स्थिति एवं पक्षकारो के कब्जा काश्त का ध्यान नहीं रखा गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की गैर हाजरी में एकपक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अपीलांटस अनपढ़ एवं निरक्षर होने के कारण उन्होने अपने हस्ताक्षर कर कागजात रेस्पोडेंट एवं हल्का पटवारी को दे दिये। हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर रेस्पोडेंट ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किये। विभाजन आदेश बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में भारी अन्तर है, जिसके कारण अपीलांटस की ढाणी, बाड़े आदि रेस्पोडेटस के कब्जे में चले गये। अपीलाधीन विभाजन आदेश अपीलांटस की गैर हाजरी में एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकूल है। तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक **26.10.2015** खारिज किया जाए।

6. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस का यह तर्क है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियों व स्थाई पानी के टांके, पशुओं एवं चारे के बाड़ो को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 02 के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। तहसीलदार बायतु द्वारा दिनांक 26.10.2015 को किया गया बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। सर्वप्रथम अपीलान्टस को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 3.10.2016 को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 02 के अधिवक्ता के कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस एवं

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 02 की पैतृक खसरा नंबर 1013/351 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा सरहद मौजा बायतु भोपजी तहसील बायतु में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 02 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार बायतु द्वारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए हल्का पटवारी से मौके की जांच कर मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार नक्शा व विभाजन प्रस्ताव तैयार किये। तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा लट्टा ट्रेस की तरमीम व मौके की भौतिक में कोई अन्तर नहीं है। अपीलांटस को उक्त विभाजन की जानकारी शुरू से ही थी। विभाजन आदेश 26.10.2015 को पारित किया गया अपीलांट द्वारा उक्त अपील एक साल बाद विलम्ब से पेश की गई, इस विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं उचित कारण पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 26.10.2015 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)